प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला**— जयपुर, **थाना**—प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष—2023
प्र0इ0रि0 सं. ....201/2023......... **दिनांक**.......27/7/2023
2. (I) **अधिनियम**... धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) ***अधिनियम** .... **धारायें**
(III) * **अधिनियम** .... **धारायें** ....
(IV) * **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....
(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....1083.. **समय** 7:45 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन बुधवार **दिनांक** 26.07.2023 **समय 11.24 ए0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....
3. **सूचना की किस्म :— लिखित /मौखिक— लिखित**
4. **घटनास्थलः**— कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 (ई—3) नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— बजानिब उत्तर, करीब 11 किमी
(ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं**................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....**जिला** ....
5. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता :—**
(अ) नाम— श्री नजमुदीन
(ब) पिता/पति का नाम— श्री फकरूदीन
(स) जन्म तिथी— उम्र— 56 साल
(द) राष्ट्रीयता — भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय —
(ल) पता— सर्वे नम्बर 106, राजीव नगर कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर
6. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —**
श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री देवीनारायण गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई थाना दतवास जिला टोंक हाल बीएसएनएल क्वार्टर नम्बर 55, पीएनटी चौराहा, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर हाल टैक्निशियन द्वितीय (एसटीमेटर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 (ई—3) नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर
7. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—**..........
8. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**...
9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य**— 1500/— रूपये
10. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
11. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):—**

दिनांक 20.07.2022 को समय 2.15 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति से परिचय करवाकर बताया कि ये नजमुदीन पुत्र फकरूदीन, निवासी सर्वे नम्बर 106, राजीव नगर कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर जयपुर है। परिवादी नजमुदीन द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीरी रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा ने मार्क कर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी नजमुदीन को अपने कार्यालय कक्ष मे लेकर आया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर विषय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडाने

बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मेरी मिठ कि दुकान है जो नया जालूपूरा भट्टा बस्ती शास्त्रीनगर मे है, दुकान मे मै ओर मेरा भाई ईरफान कुरेशी बैठते है मेने मेरी दुकान मे लाईट कनेक्शन लेने के लिए मेरे भाई के नाम से AEN आफिस नाहरी का नाका मे अपलाई किया था तथा 200 रू की रसीद जमा कर के ली थी। उसके बाद मेरी दुकान का सर्वे करने एक आदमी AEN आफिस से आया जिसने अपना नाम सरदार सिंह बताया और कनेक्शन के बारे मे मुझे बताया कि 10000 रूपये रिश्वत के देने पडेगें जब कनेक्शन लाईट का होगा जिस पर मैने कहा कि 10000 रूपये तो बहुत ज्यादा है तो उसने कहा कि आप 3500 रूपये दे देना आप का लाईट कनेक्शन मै करवा दुगा। मै सरदार सिंह को 3500 रूपये रिश्वत के रूप मे नही देना चाहता हूं उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं मेरी सरदार सिंह से कोई रंजीश नही है और ना हि पैसा का कोई लेनेदेन बकाया है। सरदार सिंह के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे हस्ताक्षर नजमुदीन पुत्र श्री फकरूदीन निवासी सर्वे न. 106 राजीव नगर कच्ची बस्ती शास्त्रीनगर जयपुर 9024905213. परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट व परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर ज्ञात हुआ कि परिवादी नजमुदीन की दुकान में उसके भाई इरफान कुरेशी के नाम से विद्युत कनेक्शन करने के लिए एईएन ऑफिस नाहरी का नाका शास्त्रीनगर के कर्मचारी सरदार सिंह द्वारा 3500 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। अतः संबंधित लोकसेवक सरदार सिंह एईएन ऑफिस नाहरी का नाका से परिवादी नजमुदीन की सत्यापन वार्ता कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट, आईडी, इरफान कुरेशी के नाम से एईएन ऑफिस नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर में दिनांक 13.07.2023 को कनेक्शन हेतु जमा कराई गयी 200 रूपये की रसीद की प्रति शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यालय के अशोक कुमार कानि. 99 को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी नजमुदीन से परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने की हिदायत की गई एवं कार्यालय की अलमारी से एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उसमे एक नया एसडी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे डालकर रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रकिया परिवादी नजमुदीन को समझाईस कर सत्यापन वार्ता हेतु समझाईस की गई। उपस्थित परिवादी नजमुदीन ने बताया कि एईएन ऑफिस नाहरी का नाका के कर्मचारी सरदार सिंह ने मुझे रिश्वत प्राप्ति और वार्ता हेतु कल प्रातः अपने कार्यालय मे बुलाया है। इस पर परिवादी नजमुदीन को गोपनीयता बरतने की हिदायत की एवं कहा कि कल प्रातः 10 बजे कार्यालय का अशोक कानि0 99 मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एईएन ऑफिस नाहरी का नाका शास्त्रीनगर के पास आपको मिलेंगे एवं श्री अशोक कुमार कानि. को निर्धारित समय पर परिवादी के पास पहुंचने की हिदायत दी। दिनांक 21.07.2023 को समय 12.10 पीएम पर श्री अशोक कानि 99 मय परिवादी श्री नजमुदीन के उपस्थित कार्यालय आये एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द हालत में सुपुर्द कर अवगत कराया कि समय करीब 10.23 ए0एम0 पर मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी नजमुदीन को चालु कर सुपुर्द कर सत्यापन वार्ता हेतु एईएन ऑफिस नाहरी का नाका शास्त्रीनगर रवाना किया। करीब एक घन्टे बाद परिवादी नजमुदीन मेरे पास आया, जिससे मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इस पर मैं व परिवादी रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आये है। परिवादी नजमुदीन ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कांवटिया सर्किल शास्त्रीनगर से अशोकजी से चालु हालत मे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मैं एईएन ऑफिस नाहरी का नाका शास्त्रीनगर पहुंचा जहां पर एईएन ऑफिस का कर्मचारी सरदार सिंह मुझे मिला जिससे मैने मेरी दुकान के विद्युत कनेक्शन की बात की तो वार्ता के प्रारम्भ में सरदार सिंह ने मेरे से कनैक्शन संबंधी वार्ता व रिश्वत मांग के संबंध मे विशेष बातचीत नही की क्योंकि कल आपके कार्यालय के आने के पश्चात जब मैं वापिस जा रहा था तो शाम के समय कांवटिया सर्किल पर मेरे को सरदार सिंह मिल गया था और उसने मेरे से कनेक्शन के लिए 3500 रूपये की रिश्वत की मांग की थी तो मैने कहा कि अभी मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही हुई है और मैं सुबह आपके पास कार्यालय मे आ जाउंगा। अतः ऐसी सूरत में एईएन ऑफिस नाहरी का नाका का कर्मचारी सरदार सिंह मेरे कनेक्शन के लिए मांगी गई रिश्वत राशि 3500 रूपये मे से कुछ पेशगी रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरान्त ही वार्ता करने की सम्भावना व मेरा काम करने के बारे में बात करने का आभास मेरे को हुआ उस समय मेरे पास सरदार सिंह को पेशगी रिश्वत राशि देने की व्यवस्था नही थी इसलिए मैं मेरा घर पास होने के कारण एईएन ऑफिस नाहरी का नाका से रवाना होकर मेरे घर पर गया और सरदार सिंह को पेशगी रिश्वत राशि देने के लिए मेरे घर से 1500 रूपये लेकर घर से रवाना होकर वापिस एईएन ऑफिस नाहरी का नाका शास्त्रीनगर पर पहुंचा जहां पर कर्मचारी

सरदार सिंह मौजूद मिला जिससे मैने वार्ता की तो सरदार सिंह ने मेरे से मेरी दुकान में बिजली का कनेक्शन करने के लिए 1500 रूपये अग्रिम रिश्वत राशि प्राप्त कर ली और शेष 2000 रूपये कुछ समय बाद लेने का तय किया एवं सरदार सिंह ने मीटर लगाने वाले का भी 1000–500 रूपये रिश्वत देने की बात कही। यह सभी वार्ता मेरे द्वारा रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने अशोक कानि द्वारा सुपुर्द किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन करके कार्यालय लेपटॉप की सहायता से सुना तो परिवादी नजमुदीन द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी होती है। वार्ता सुनने के उपरान्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे रखा गया। परिवादी नजमूदीन ने बताया कि मैने हमारी मीट की दुकान में विधुत कनेक्शन के लिए मेरे भाई इरफान कुरेशी के नाम से एईएन ऑफिस नाहरी का नाका में रसीद कटाकर कनेक्शन के लिए दिनांक 13.07.2023 को अप्लाई किया था उसके संन्दर्भ में सरदार सिंह द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की जा रही है एवं मेरी एक दुकान लंकापुरी शास्त्रीनगर मे और है जो मैने किराये पर दे रखी है, उस दुकान मे भी मेरे को विधुत कनेक्शन करवाना है जिसके लिए मैने दिनांक 18.07.2023 को 200 रूपये की मेरे नाम से रसीद कटाकर एईएन ऑफिस शास्त्रीनगर मे आवेदन किया है, उसके विधुत कनेक्शन का काम भी सरदार सिंह को ही करना है यदि मैं सरदार सिंह के पास जाकर लंकापुरी वाली दुकान के कनेक्शन के बारे मे बात करूंगा तो सरदार सिंह इस कनेक्शन के लिए भी मेरे से रिश्वत की मांग करेगा। परिवादी नजमुदीन द्वारा स्वंय के नाम से जयपुर विधुत वितरण निगम लिमी0 एईएन नाहरी का नाका कार्यालय की दिनांक 18.07.2023 को 200 रूपये की रसीद की प्रति प्रस्तुत की। परिवादी नजमुदीन द्वारा स्वंय के नाम से अप्लाई विधुत कनेक्शन एवं वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज परिवादी नजमुदीन व एसओ सरदार सिंह के मध्य दर्ज वार्ताओं को सुनने के उपरान्त परिवादी नजमूदीन को सदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह के पास भेजकर परिवादी के कार्य के संबंध में पुनः सत्यापन वार्ता करवाया जाने हेतु दिनांक 24.07.2023 को समय 11 एएम पर पर परिवादी श्री नजमुदीन के उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय के श्री अशोक कुमार कानि0 434 को अपने कार्यालय मे बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया एवं कार्यालय की अलमारी से पूर्व मे इस्तेमाल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर(जिसमे एसडी कार्ड लगा हुआ है) निकालकर इस्तेमाली प्रक्रिया से परिवादी को समझाईस कर वास्ते सत्यापन वार्ता श्री अशोक कुमार कानि0 के साथ रवाना किया गया। समय 12.40 पीएम पर श्री अशोक कुमार कानि0 434 मय परिवादी श्री नजमुदीन के उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द हालत मे सुपुर्द किया। परिवादी नजमुदीन ने बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर मैं व अशोकजी बिजली विभाग के एईएन ऑफिस नाहरी के नाका के बाहर पहुचे जहां पर मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु करके सरदार सिंह से वार्ता करने के लिए एईएन ऑफिस नाहरी का नाका मे गया व अशोकजी बाहर ही रूक गये थे। मैं कार्यालय मे जाकर सरदार सिंह से मिला तो सरदार सिंह ने मेरे से मेरे व मेरे भाई इरफान कुरेशी की मीट की दुकान मे विधुत कनेक्शन के काम के लिए पूर्व मे तय की गई रिश्वत राशि 3500 रूपये जिसमे से 1500 रूपये अग्रीम रिश्वत राशि दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त कर लिये थे, शेष 2000 रूपये की रिश्वत राशि की मेरे से मांग की और बात करके कहा कि कुछ कम दे जाओ। इसके बाद सरदार सिंह ने मेरी जालुपुरा भट्टा बस्ती वाली मीट की दुकान के कनेक्शन के काम को करने के लिए 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि अभी दे जाओ। मैने कहा कि या तो आज शाम तक दे जाउंगा या कल दे जाउंगा । सरदार सिंह ने मेरी लंकापुरी वाली दुकान के विधुत कनेक्शन की साईड देखने और कनेक्शन करने के लिए भी रिश्वत राशि मांगी और कहा कि इस काम की जो आपकी इच्छा हो दे जाना। इसके उपरान्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन करके वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुनने पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टी हुई। उपस्थित परिवादी ने बताया कि आज मेरे पास सरदार सिंह को दी जाने वाली 1500 रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है, मै कल प्रातः रूपयो की व्यवस्था करके कार्यालय मे उपस्थित हो जाऊगा। परिवादी को गोपनीयता की हिदायत बरतते हुये दिनांक 25.07.2023 को प्रातः कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 25.07.2023 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री नजमुदीन एवं दो पाबन्दशुदा गवाहान श्री अशोक सैनी वरिष्ठ सहायक एवं श्री विवेक सैनी वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 निर्माण खण्ड जयपुर उपस्थित कार्यालय आये जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल होने की सहमती प्राप्त करने के उपरान्त उपस्थित गवाहान का परिवादी नजमुदीन से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन करवाया एवं

तहरीरी रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर कराने के उपरान्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी नजमुदीन व संदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह की सत्यापन वार्ता दर्ज है को ऑन करके गवाहान को परिवादी के समक्ष सुनाया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को पुनः बन्द कर अपने पास वापिस सुरक्षित रखा। समय 10.45 ए0एम पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नजमुदीन को संदिग्ध आरोपी श्री सरदार सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री नजमुदीन ने अपने पास से 500–500 रूपये के 03 नोट कुल 1500/–रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटों के नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर सही होना पाये गये। श्री राजकुमार हैड कानि0 35 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 03 नोटों कुल 1500/– रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजकुमार हैड कानि0 35 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री नजमुदीन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अशोक सैनी से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी नजमुदीन की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री राजकुमार हैड कानि0 35 से रखवाया गया। श्री राजकुमार हैड कानि0 35 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की अलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री राजकुमार हैड कानि0 35 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी श्री नजमुदीन एवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। तत्पश्चात परिवादी श्री नजमुदीन को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मो0 नं0 8386050807 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया, श्री राजकुमार हैड कानि0 35 के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबोक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री नजमुदीन को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री नजमुदीन को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे काम मे लिया गया डिजिटल वाईस मय एसडी कार्ड के रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा श्री राजकुमार हैड कानि0 35 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय मे ही छोडा गया। सम्पूर्ण प्रक्रिया की फर्द तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.10 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक मय श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि 66, श्री पूरण सिंह कानि0 243, श्री सफी मोहम्मद कानि 173,, श्रीमति ममता मकानि मय स्वतंत्र गवाह श्री अशोक सैनी व विवेक सैनी के मय ट्रैपबॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी/प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री नजमुदीन व श्री अशोक कानि0 434 को परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु रवाना होकर कांवटिया सर्किल होते हुए समय 11.50 एएम पर खण्डेलवाल कॉलेज के पास विद्युत विभाग के एईन ऑफिस नाहरी का नाका कार्यालय के

पास पहुंचे तथा हमराह जाप्ते व गवाहान के साथ अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए परिवादी श्री नजमुदीन व श्री अशोक कानि0 434 मन उप अधीक्षक के पास उपस्थित आये परिवादी नजमुदीन को बाद समझाईश डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी सरदार सिंह के पास रिश्वत लेन–देन के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के एईन कार्यालय के आस–पास व कार्यालय की बिल्डिंग के अन्दर की तरफ अपनी उपस्थित छिपाते हुए मुकीम हुए जहां से परिवादी नजमुदीन विद्युत विभाग के कार्यालय में प्रथम तल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। समय 12.06 पीएम पर परिवादी श्री नजुदीन ने स्वयं के मोबाईल से मन उप अधीक्षक पुलिस को कॉल कर अवगत कराया कि संदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह अपने कार्यालय में नहीं है। इस पर परिवादी को हिदायत की कि संदिग्ध कर्मचारी के बारे में कार्यालय में मालुमात कर सूचित करे। समय 12.25 पीएम पर परिवादी नजमुदीन एईएन ऑफिस से बिना कोई ईशारा किये पैदल–पैदल बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। जिसके पीछे मन उप अधीक्षक अपनी उपस्थित छिपाते हुए एईएन ऑफिस के पीछे वाली गली में पहुंचा, जहां पर परिवादी नजमुदीन से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके उपरांत परिवादी नजमुदीन ने मन उप अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं सरदार सिंह के एईएन ऑफिस में प्रथम तल पर स्थित कमरे में गया जहां पर सरदार सिंह मौजूद नहीं मिला, मैंने अन्य लोगों से भी सरदार सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने अभी तक सरदार सिंह के नहीं आने के बारे में बताया। इसके उपरांत मेरे द्वारा सरदार सिंह के मोबाईल पर कॉल किया तो सरदार सिंह का मोबाईल स्विच ऑफ था। अब तक के घटनाक्रम से संदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने तथा परिवादी से संपर्क नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ते, गवाहान, परिवादी व अशोक कानि. के हमराह साधनों से संदिग्ध कर्मचारी के इन्तजार में मुकीम होने के लिए कांवटिया सर्किल के पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए। समय 02.20 पीएम पर परिवादी नजमुदीन ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह के स्वयं के कार्यालय में नहीं आने की पुष्टि होने व उसका मोबाईल भी स्विच ऑफ आने एवं परिवादी से अब तक एस.ओ. का कोई संपर्क नहीं होने के कारण उपरोक्त रिहायशी स्थान पर लम्बे समय तक अपनी उपस्थिति छिपाकर मुकीम रहना संभव नहीं होने के कारण मन उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के मय हमराह साधनों से समय 2.30 पीएम पर ए. सी.बी. कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 03.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय पहुंचे। समय 04.15 पीएम तक परिवादी का एस.ओ. से मोबाईल पर संपर्क नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः कार्यालय के राजकुमार मुख्य आरक्षक संख्या 35 को अपने कक्ष में तलब कर परिवादी नजमुदीन की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 1500/– रूपये को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाया जाकर नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी से करने के उपरांत एक कागज के लिफाफे में राशि 1500/– रूपये को राजकुमार एच.सी. से स्वयं की अलमारी के लोकर में सुरक्षित रखवाया गया, तथा परिवादी नजमुदीन को गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई कि यदि संदिग्ध कर्मचारी सरदार सिंह आपसे संपर्क करे तो मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावें। मन उप अधीक्षक के पास सुरक्षित अवस्था में रखे हुए डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 26.07.2023 को समय 08.18 एएम पर परिवादी नजमुदीन ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि सरदार सिंह का मेरे पास फोन आया है और उसने मुझे रिश्वत प्राप्ति के लिए साढे दस से ग्यारह बजे तक अपने कार्यालय मे बुलाया है इस पर परिवादी नजमुदीन को एसीबी कार्यालय आने की हिदायत की गई व दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी एसीबी कार्यालय उपस्थिति होने की हिदायत की गई। समय 10. 00 एएम पर परिवादी नजमुदीन व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विवेक सैनी व अशोक सैनी उपस्थित एसीबी कार्यालय आने पर श्री राजकुमार हैड कानि0 35 को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर श्री राजकुमार हैड कानि से अलमारी के लोकर मे रखे लिफाफा जिसमे 1500 रूपये फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि रखी हुई है को परिवादी व दोनो गवाह के समक्ष निकलवाकर लिफाफे में से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 1500 रूपये को राजकुमार हैड कानि से निकलवा कर 500–500 के तीन नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया जाकर परिवादी नजमुदीन की पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाया गया। रिश्वत राशि रखवाने के पूर्व परिवादी की जामा तलाशी गवाह अशोक से

लिवाई गई व मोबाईल के अलावा अन्य वस्तु नही छोडी गई। श्री राजकुमार हैड कानि 35 से कागज का लिफाफा जिसमे रिश्वती राशि रखी हुई थी, को नष्ट करवाया गया एवं राजकुमार हैड कानि के हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवा कर राजकुमार हैड कानि को कार्यालय मे ही छोडा गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व स्वतंत्र गवाहान के हाथ भी साबून व पानी से धुलवाये गये व मन उप अधीक्षक ने अपने हाथ साबून व पानी से साफ किये। परिवादी श्री नजमुदीन को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी मे से पूर्व मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे काम मे लिया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को निकालकर परिवादी श्री नजमुदीन को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु के रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी। समय 10.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक मय श्री भंवरसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री विरेन्द्र कुमार कानि 66, श्री पूरण सिंह कानि0 243, श्री सफी मोहम्मद कानि 173, श्रीमति ममता मकानि मय स्वतंत्र गवाह श्री अशोक सैनी व विवेक सैनी के मय ट्रैपबॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी/प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री नजमुदीन व श्री अशोक कानि0 434 को परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु रवाना होकर कांवटिया सर्किल होते हुए समय 11.10 एएम पर खण्डेलवाल कॉलेज के पास विद्युत विभाग के एईन ऑफिस नाहरी का नाका कार्यालय के पास पहुंचे तथा हमराह जाप्ते व गवाहान के साथ अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए परिवादी श्री नजमुदीन व श्री अशोक कानि0 434 मन उप अधीक्षक के पास उपस्थित आये परिवादी नजमुदीन को बाद समझाईश डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी सरदार सिंह के पास रिश्वत लेन–देन के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के एईन कार्यालय के आस–पास व कार्यालय की बिल्डिंग के अन्दर की तरफ अपनी उपस्थित छिपाते हुए मुकीम हुए जहां से परिवादी नजमुदीन विद्युत विभाग के कार्यालय में प्रथम तल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। समय 11.24 एएम पर परिवादी श्री नजमुदीन ने अपने मोबाईल नम्बर 9024905213 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 8386050807 पर कॉल कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के कार्यालय सहायक अभियन्ता,विधुत वितरण निगम लि0 नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर में स्थित परिसर मे बांयी तरफ बनी कार्यालय की बिल्डिंग के प्रथम तल पर पहुंचा जहां पर कमरा नम्बर 07 के दरवाजे के पास खडे परिवादी नजमुदीन के पास पहुंचा परिवादी नजमुदीन से डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा व परिवादी ने कमरे में सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सरदार सिंह है जिसने मेरे से अभी मेरी मीट की दुकान में मेरे भाई के नाम विधुत कनेक्शन करने के लिए उपर के खर्चे के रूप मे 1500 रूपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। इस पर कमरे मे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के दांये व बांये हाथ को पोचों से हमरा जाप्ते मे से क्रमशः अशोक कुमार कानि0 434 व श्री सफी मोहम्मद कानि0 से पकडवाया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री देवीनारायण गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई थाना दतवास जिला टोंक हाल बीएसएनएल क्वार्टर नम्बर 55, पीएनटी चौराहा, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर हाल टैक्निशियन द्वितीय (एसटीमेटर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 (ई–3) नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर होना बताया। आरोपी श्री सरदार सिंह से परिवादी श्री नजमुदीन से 1500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे पूछा तो श्री सरदार सिंह ने बताया कि मैने नजमुदीन से कोई रिश्वती राशि की मांग नही की गई है, इसने आज जबरदस्ती मेरी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ रूपये रखे है, कितने रूपये है मैने गिने नही है। इस पर उपस्थित परिवादी नजमुदीन ने आरोपी श्री सरदार सिंह की बात का खण्डन करते हुये कहा कि मेरे व मेरे भाई इरफान कुरेशी की नया जालुपुरा मे मीट की दुकान है इस दुकान में मेरे भाई इरफान कुरेशी के नाम से विधुत कनेक्शन लगवाने के लिए एईएन ऑफिस, नाहरी का नाका में फाईल लगाई थी। मेरी दुकान पर विधुत कनेक्शन करने की ऐवज में सरदार सिंह ने मुझसे दस हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे जो बाद मे 3500 रूपये लेने पर सहमत हो गया था जिसमे से 1500 रूपये सरदार सिंह ने मुझसे दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त कर लिये थे। दिनांक 24.07.2023 को मेरी जब सरदार सिंह से बात हुई तो शेष रही

राशि 2000 रूपये के स्थान पर 1500 रूपये लेने पर राजी हो गया था। आज मैने सरदार सिंह के मांगे अनुसार ही 1500 रूपये रिश्वती राशि सरदार सिंह को दिये है जो इसने अपने दाहिने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिने जेब में रख लिये। इसके अलावा मैने मेरी लंकापुरी शास्त्रीनगर मे स्थित दुकान में भी विधुत कनेक्शन के लिए फाईल लगाई है, उसमे विधुत कनेक्शन संबंधी कार्य के लिए सरदारसिंह मेरे से रिश्वत मांग रहा है। इसके उपरान्त अग्रीम कार्यवाही हेतु आरोपी सरदार सिंह गुर्जर को दोनो हाथ पोंचो से पकडे हुये सरदार सिंह के कमरा नम्बर 7 के सामने स्थित कमरा नम्बर 01 में लेकर आये व अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की। इसके उपरान्त परिवादी श्री नजमुदीन व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी सरदार सिंह गुर्जर के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा भरवाकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री नजमुदीन तथा आरोपी श्री सरदार सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी सरदार सिंह गुर्जर के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया, उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा भरवाकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी नजमुदीन तथा आरोपी श्री सरदार सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात गवाह श्री अशोक सैनी से आरोपी सरदार सिंह गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई तो उसमे से 500–500 रूपये के तीन नोट मिले एवं पेन्ट की बांयी जेब मे एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का मय दो सिम जिनके नम्बर 8504990545 व 8955933584 है एवं 460 रूपये नगद मिले। दाहिनी जेब मे मिले 1500 रूपये 500–500 के तीन नोटों के नम्बरों का मिलान दोनो गवाह से फर्द पेशकशी मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो तीनों नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बर से हुबहु होना पाय गया। नोटों का विवरण फर्द मे अंकित करवाकर बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री सरदार सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी सरदार सिंह के बांयी जेब मे मिली नगद राशि 460 रूपये के बारे मे पुछने पर उसने स्वंय की निजी खर्चे की राशि होना व अपने घर से लेकर आना बताया। इसके पश्चात आरोपी के लिए एक लोवर मंगवाया जाकर आरोपी सरदार सिंह को पहनने को दिया एवं पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया गया। इसके उपरान्त साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी सरदार सिंह की पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई है को उलटवाकर उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी हेाना बताया, उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा भरवाकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा कर मार्क P–1 व P–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी नजमुदीन तथा आरोपी श्री सरदार सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट की जेब को सुखवाकर जेब पर दोनो गवाहान, परिवादी व आरोपी सरदार सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखवा कर सिल्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर थैली पर दोनों गवाहान, परिवादी नजमुदीन तथा आरोपी श्री सरदार सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के भाई के नाम से विधुत कनेक्शन की फाईल के बारे मे पूछने पर आरोपी सरदार सिंह ने परिवादी के भाई इरफान कुरेशी व परिवादी नजमुदीन के नाम की विधुत कनेक्शन फाईल कार्यालय मे होना बताया। कार्यालय मे मौजुद सहायक अभियन्ता श्री चन्द्रमोहन सैनी कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0

(ई–3), नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर से इरफान कुरेशी व नजमुदीन के नाम की विधुत कनेक्शन पत्रावली की सत्यप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी सरदार सिंह के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके बाद आरोपी सरदार सिंह को परिवादी नजमुदीन से दौराने मांग सत्यापन व रिश्वत लेन–देन के समय दर्ज रिकार्डशुदा वार्ताओं के संबंध में आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द सहमति चाही गई तो आरोपी सरदार सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया। इसके बाद समय 01.30 पीएम पर आरोपी सरदार सिंह गुर्जर टैक्निशियन द्वितीय (एसटीमेटर) को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिव कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी सरदार सिंह गुर्जर के मय जप्तशुदा आर्टीकल्स मुताबिक फर्द मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप प्रिंटर के हमराह साधनों से समय 02.30 पीएम पर रवाना होकर समय 03.30 पीएम पर ए.सी.बी. कार्यालय पहुचें, गिरफ्तारशुदा आरोपी को निगरानी में रखा गया। जप्तशुदा आर्टीकल्स को सुरक्षित रखा गया। समय 03.45 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे एसडी कार्ड लगे डिजिटल वॉयस रिकार्डर को परिवादी श्री नजमुदीन व स्वंतत्र गवाहान की उपस्थिति में चालू कर दिनांक 21.07.2023 व 24.07.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 25.07.2023 की दर्ज वार्ता तथा दिनांक 26.07.2023 को परिवादी व आरोपी सरदार सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड हुई वार्ता को लेपटॉप की सहायता से सुनकर रिकॉर्ड वार्ताओं मे परिवादी नजमुदीन द्वारा एक आवाज स्वंय की एवं दुसरी आवाज आरोपी सरदार सिंह की होने की पहचान गवाहान के समक्ष ताईद की। जिस पर उपरोक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ताओं की लेपटॉप की सहायता से 05 सीडी तैयार की जाकर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 दिया जाकर सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को सील्डमोहर किया एवं सीडी मार्क A-4, A-5 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से सील्डमोहर कर मार्क SD दिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री देवीनारायण गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई थाना दतवास जिला टोंक हाल बीएसएनएल क्वार्टर नम्बर 55, पीएनटी चौराहा, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर हाल टैक्निशियन द्वितीय (एसटीमेटर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 (ई–3) नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर द्वारा परिवादी श्री नजमुदीन से उसकी मीट की दुकान पर परिवादी के भाई इरफान कुरेशी के नाम से विधुत कनेक्शन से संबंधित कार्य करने की ऐवज में 3500 रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 21.07.2023 को 1500 रूपये अग्रीम रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं दिनांक 26.07.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही मांग के अनुसरण मे परिवादी नजमुदीन से 1500 रूपये रिश्वत राशि परिवादी नजमुदीन के वैध कार्य को करने के लिए अवैध परितोषण के रूप में प्राप्त करना पाया जाने पर आरोपी सरदार सिंह को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया व आरोपी सरदार सिंह द्वारा परिवादी नजमुदीन की लंकापुरी शास्त्रीनगर, जयपुर में स्थित दुकान पर विद्युत कनेक्शन संबंधी कार्य करने के लिए परिवादी से रिश्वत की मांग की जाने से आरोपी सरदार सिंह गुर्जर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर बिना नम्बरी एफ.आई.आर. धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में तैयार कर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अभिषेक पारीक)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अभिषेक पारीक, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री देवीनारायण गुर्जर, हाल टैक्नीशियन-द्वितीय (एस्टीमेटर) कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ई-3) नाहरी का नाका शास्त्रीनगर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 201/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.7.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2414-17 दिनांक 27.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

27.7.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।